



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902,0151-2226905,  
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक:- अन्य राजस्व/ 2019/ 12619-626


दिनांक:- 6/8/19

## नीलामी सूचना

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग/यूनिपोल (20'x10' वर्ग फुट) द्वारा प्रदर्श जोन संख्या 2.1 व 2.2 के लाईसेंस के लिए अवधि तीन वर्ष (एक वर्ष + दो वर्ष के लिए नवीनीकरण आधार पर) के लिए स्वीकृत सूची के अनुसार साईट्स की खुली नीलामी दिनांक 02.09.2019 को दोपहर 2.30 बजे से अंतिम व उच्चतम बोली प्राप्त होने तक रखी जाती है। खुली नीलामी दिनांक को अंतिम उच्चतम बोली स्वीकार योग्य प्राप्त न होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस को बोली निरन्तरता में जारी रहेगी।

जोन संख्या	विवरण	साईट्स	आरक्षित राशि	धरोहर राशि
2.1	रानी बाजार ओवर ब्रिज	15	18,93,650/-	50,000/-
2.2	अम्बेडकर चौराहा, डी.आर.एम. ऑफिस, मेजर पूर्ण सिंह चौराहा, चाणक्य होटल हनुमान मंदिर, तुलसी सर्किल	15	26,51,110/-	50,000/-

इच्छुक बोलीदाता धरोहर राशि के साथ पैन कार्ड व जी. एस. टी. नंबर नीलामी दिनांक को दोपहर 2:30 बजे तक जरिये बैंकर बैंक/डी.डी./ नगद नगर निगम में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। अन्तिम व उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष में जमा करवानी होगी। नीलामी शर्त व अन्य विवरण नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय में अन्य राजस्व अनुभाग व निगम की वेबसाइट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) में देखी जा सकती है। नीलामी के संबंध में बीकानेर नगर निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

  
(प्रदीप के गावडे)IAS  
आयुक्त


## NOT TO BE PUBLISHED


क्रमांक - अन्य राजस्व/2019/ 12619-626

दिनांक - 6/8/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- माननीय महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
- श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
- श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना का कम से कम स्पेस में नियमानुसार सर्वाधिक प्रसारित होने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार-पत्र (बीकानेर, जयपुर, जोधपुर संस्करण) तथा अखिल भारतीय समाचार पत्र (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं विपत्र भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करवायें।
- श्रीमान् उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी को भेजकर लेख है कि नीलामी दिनांक को खुली नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा उक्तानुसार जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि को नियमानुसार जमा करवाने की व्यवस्था करें।
- उपविधि परामर्शी/राजस्व अधिकारी प्रथम/सचिव, नगर निगम बीकानेर।
- निजी सहायक नगर निगम बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी दिनांक को नीलामी कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाने एवं आवश्यकतानुसार माईक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।
- ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रकाशन करावें।
- नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

  
(प्रदीप के गावडे)IAS  
आयुक्त



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फ़ैक्स नं :- 0151-2226906, फ़ोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,  
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org


## युनिपोल/होर्डिंग पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लाईसेंस की शर्तें

नगरीय सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल/होर्डिंग जोन 2.1 व 2.2 (स्वीकृत सूची अनुसार) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. युनिपोल/होर्डिंग साईट्स के लिए उक्त जोन साईट्स की खुली नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
2. नगर निगम द्वारा केवल साईट नीलामी की जा रही है। इस स्थान पर युनिपोल/होर्डिंग का निर्माण, युनिपोल/होर्डिंग स्थापित करने व उस पर विज्ञापन का व्यय अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।
3. नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल/होर्डिंग साईट की लाईसेंस अवधि तीन वर्ष (एक वर्ष + दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए मान्य होगी, जिसका साईज 20' X 10' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार साईट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।
4. खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी सूचना के अनुसार धरोहर राशि पचास हजार रुपये, पैन कार्ड व जी.एस.टी. नं. नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि लाईसेंस समयावधि समाप्त होने के पश्चात् ही लौटाई जायेगी। अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् ही लौटाई जायेगी। नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
5. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी तथा शेष 3/4 राशि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त की जा सकेगी एवं भविष्य में नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। दूसरे वर्ष के लिए लाईसेन्स पूर्ण होने पर गत वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत राशि वृद्धि कर समस्त राशि जमा होने के पश्चात् ही दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष के लिए लाईसेन्स जारी किया जावेगा, नवीनीकरण राशि ठेका अवधि शुरू होने से दो माह पूर्व जमा करानी होगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी एवं नयी नीलामी इनके रिस्क एंड कोस्ट के आधार पर जारी की जावेगी।
6. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साईट्स की राशि शर्तानुसार समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साईट का अनुज्ञापत्र साईट प्लान सहित जारी किया जावेगा।
8. युनिपोल/होर्डिंग अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साईट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये युनिपोल/होर्डिंग को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा।
9. कोई अनुज्ञापत्रधारी शर्तों की पालना किये बिना युनिपोल/होर्डिंग नहीं लगायेगा। अनुज्ञापत्रधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति ही इस कार्य के लिए अधिकृत होंगे। युनिपोल/होर्डिंग नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर के पक्ष में जब्त की जावेगी। साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के युनिपोल/होर्डिंग बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर युनिपोल/होर्डिंग नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया सकेगा।
11. बीकानेर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिक करण की दृष्टि से इन युनिपोल/होर्डिंग का निर्माण स्पेशिफिकेशन (SPECIFICATIONS) के अनुसार करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जावेगा।
12. युनिपोल/होर्डिंग पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जावेगा एवं ELECTRIC CONNCTION बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारी को सभी यूनीपोल/होर्डिंग सिल्वर रंग के क्लर करके रखने होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक साईट पर अपने फर्म का नाम एवं साईट संख्या स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे। ऐसा न करने पर युनिपोल/होर्डिंग बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।

कॉ २

14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह युनिपोल/होर्डिंग को मजबूती से स्थापित करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में युनिपोल/होर्डिंग नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि युनिपोल/होर्डिंग की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व लाईसेन्सधारक का होगा। युनिपोल/होर्डिंग गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारक के स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के युनिपोल/होर्डिंग मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते हैं तो सूचना के दो घण्टे के अन्दर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी। अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
16. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो लाईसेंस को ही जमा करने की जिम्मेदारी होगी।
17. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
18. यदि कोई युनिपोल/होर्डिंग जनहित इत्यादि में या यातायात में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से वापस करने की कार्यवाही की जावेगी।
19. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम बीकानेर का होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
20. ईच्छुक फर्म निलामी से पूर्व साईट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लें।
21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम का होगा, जो मान्य होगा।
22. साईट संख्या में वृद्धि एवं कमी करने का अधिकार आयुक्त बीकानेर नगर निगम को सुरक्षित रहेगा।
23. समय-समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों कार्यक्रम आदि के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग/यूनिपोल साईट्स की नगर निगम को आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईट्स उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा तथा न ही संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई राशि का किसी तरह से समायोजन किया जावेगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिये बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी द्वारा प्रत्येक शर्त के उल्लंघन पर 1000/- रुपये प्रति उल्लंघन शासित वसूल की जा सकेगी, जो कि एक बार में अधिकतम 10,000/- रुपये होगी अथवा अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र आयुक्त/राजस्व अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साईट/साईट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. अनुज्ञापत्रधारी नगर पालिका अधिनियम 2009 माननीय न्यायालयों, नगर निगम बीकानेर विज्ञापन उपविधियों के प्रावधानों, लाईसेंस की शर्तों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम अधिकारी बीकानेर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाए जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल/होर्डिंग बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सडक सुरक्षा से संबंधित कमेटी एवं परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सडक सुरक्षा के संबंध में दिये गये निर्देशों की पालना संवेदक द्वारा करनी होगी एवं निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पत्रांक 13521-710 दिनांक 28.7.2016 के अन्तर्गत दिये गये मापदण्डों की पालना की जानी आवश्यक होगी।
27. विवादक स्थिति के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगी।

  
 (प्रदीप के. गावंडे)IAS  
 आयुक्त